भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 722

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)

722.श्री मनोज तिवारी:

श्री बसवराज बोम्मई:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री लुम्बा राम:

श्री विशालदादा प्रकाशबाबू पाटील:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्रीमती स्मिता उदय बाघ:

श्रीमती पूनमबेन माडम:

श्री बिप्लव कुमार देव:

श्री नव चरण माझी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित किए जाने के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओएससी के निर्माण के लिए बजटीय मानदंड क्या हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में कार्यरत ओएससी और इनसे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) विशेष रूप से त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित ओएससी की संख्या कितनी है;

(ड.) क्या सरकार का विचार प्रदान की गई सेवा की दक्षता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए स्व-मूल्यांकन के साधन के रूप में ओएससी की सामाजिक लेखापरीक्षा कराने का है; और

(च) देश में ओएससी सेवाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों की कुल संख्या की राज्य-वार सूची क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना तथा महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने के लिए चिकित्सा, कानूनी, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।

(ख) वन स्टॉप सेंटर के निर्माण के लिए बजटीय मानदंड सीपीडब्ल्यूडी 2020 दरों पर आधारित हैं जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 60.00 लाख रुपये (संभावित) है। अन्य क्षेत्रों/स्थानों के लिए दरें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार हैं। निर्माण लागत में किसी भी परिवर्तन को पूरा करने के लिए निर्माण लागत का 5 % परिवर्तनीय लागत भी प्रदान की जाती है।

(ग) आज तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 785 ओएससी कार्यरत हैं। आज तक महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में कार्यरत ओएससी की संख्या तथा उनसे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संचालित ओएससी की संख्या	1.4.2015 से 31 मई 2024 के दौरान सहायता

			प्राप्त महिलाओं की कुल संख्या
1	महाराष्ट्र	42	30589
2	गुजरात	35	35500
3	ओडिशा	30	21891

(घ) चूंकि यह योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की मांग पर आधारित है, इसलिए उन्हें ऐसे जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है अधिमानतः आकांक्षी जिलों में। इसके अलावा, जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ओएससी स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो मंत्रालय के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा उस पर विचार किया जाता है।

(ङ) ओएससी के लिए कोई सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं की गयी है। हालांकि, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग के माध्यम से किया गया था। अध्ययन में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया।

(च) देश में ओएससी सेवाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**1.4.2015 से 31 मई 2024 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1942
2	आंध्र प्रदेश	41085

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**1.4.2015 से 31 मई 2024 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या**
3	अरुणाचल प्रदेश	2073
4	असम	20448
5	बिहार	36582
6	चंडीगढ़	1526
7	छत्तीसगढ़	43264
8	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	1164
9	दिल्ली	17996
10	गोवा	6792
11	गुजरात	35500
12	हरियाणा	40459
13	हिमाचल प्रदेश	2478
14	जम्मू और कश्मीर	10900
15	झारखंड	4568
16	कर्नाटक	24633
17	केरल	19101
18	लद्दाख	65
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	94166
21	महाराष्ट्र	30589
22	मणिपुर	1572
23	मेघालय	3464
24	मिजोरम	1346
25	नागालैंड	1284
26	ओडिशा	21891

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2015 से 31 मई 2024 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या
27	पुदुचेरी	442
28	पंजाब	17115
29	राजस्थान	44428
30	सिक्किम	1409
31	तमिलनाडु	79643
32	तेलंगाना	63539
33	त्रिपुरा	719
34	उत्तर प्रदेश	237194
35	उत्तराखंड	7280
36	पश्चिम बंगाल	3055
	कुल	**919712**

****